"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016— चैत्र 3, शक 1938

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2016

आदेश

क्रमांक एफ 21-01/2016/9/55-4. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा प्रवेश नियम, 2016 के नियम - 6 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन तत्काल प्रभाव से करता है, अर्थात् :-

वर्तमान नियम "6" (ख) (एक) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "परीक्षा का परिणाम" के स्थान पर शब्द "प्रावीण्य सूची" प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.